गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(**I.S.O. 9001:2015** एवं **I.S.O. 14001:2015** द्वारा प्रमाणित संस्था)

द्वारा

राजनगर योजना स्थित सेन्ट्रल पार्क

की

प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन हेतु नियम एवं शर्तो की विवरणिका।

एक सुन्दर शहर..................हमारा संकल्प

मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)– ` 1180/–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(**I.S.O. 9001:2000** एवं **I.S.O. 14001:2004** प्रमाणित संस्था)

कार्य का नाम–राजनगर योजना स्थित सेन्ट्रल पार्क का एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन का कार्य।

<u>प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन हेतु नियम व शर्तें</u>

1. ओपन जिम संचालन की अवधि 01 वर्ष होगी।
2. सेन्ट्रल पार्क में प्रवेश शुल्क व्यवस्था के संचालन का ठेका दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। सन्तोषजनक संचालन एवं आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढाई जा सकती है, जिसमें उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
3. नीलामी के समय ` 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, जमा कराना होगा। बिना जमानत धनराशि के प्रतिभाग की अनुमति नहीं होगी।
4. नीलामी के साथ नीलामीदाता को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व मतदाता पहचान पत्र की प्रति जमा कराना होगा।
5. प्राधिकरण परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है। नीलामी के समय मोबाइल बन्द रखना होगा।
6. नीलामी स्वीकृत होने की दशा में सर्वोच्च नीलामी धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। जमा न कराने की दशा में जमानत के रूप में जमा धनराशि ` 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी।
7. जबतक उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी के दिन प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करा दी जाती है तब तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की जमानत की धनराशि वापस नहीं की जायेगी। अन्य बोलीदाताओं की जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
8. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त सर्वोच्च बोली की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एवं सर्वोच्च बोली पर निर्धारित देय कर की धनराशि सहित 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की दशा में पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी, तथा पुनः नीलामी आहूत की जायेगी।
9. प्रथम उच्चतम बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए ठेका पुनः नीलाम किया जायेगा।
10. आयकर प्राविधानों के अनुसार ठेके हेतु प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि पर निर्धारित देय कर व प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप में वार्षिक शुल्क की धनराशि के साथ ठेका स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
11. ठेके के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया

गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।

13. नीलामी की स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।

14. ठेकेदार अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगा, ऐसा करने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

15. ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।

16. ठेकेदार प्रवेश शुल्क के रूप में ` 10.00 प्रति व्यक्ति से अधिक से दर वसूल नहीं करेगा, और इसके लिए निर्धारित दर का टिकट कूपन जारी करेगा, जो प्राधिकरण से अनुमोदित करना होगा।

17. ठेकेदार द्वारा नागरिकों के लिए निम्नानुसार दर से पास निर्गत किये जायेंगे, जिसका प्रारूप प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा

क्र0सं0	विवरण	पास दर प्रति माह	पास दर प्रति तीन माह	पास दर प्रति छः माह	पास दर प्रति बारह माह
1.	पारिवारिक (प्रति कपल)	` 250.00	` 500.00	` 1000.00	` 2000.00
2.	प्रति व्यस्क व्यक्ति	` 150.00	` 300.00	` 750.00	` 1500.00

18. ठेकेदार द्वारा टिकट/पास के निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूल नहीं की जायेगी। शर्त के उल्लंघन की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।

19. सेन्ट्रल पार्क के खुलने का समय–शरद ऋतु में प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक तथा ग्रीष्म ऋतु में प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक रहेगा।

20. प्रत्येक राष्ट्रीय अवकाश के दिवस में प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

21. वरिष्ठ नागरिक एवं 12 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूली छात्र–छात्राएं तथा अन्य बच्चें एवं प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारियों, पत्रकार एवं विकलांग के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

22. ठेकेदार सेन्ट्रल पार्क में उपलब्ध विद्युत व्यवस्था से सामान्य उपयोग कर सकेंगे। विद्युत कट के समय एवं अतिरिक्त आवश्यकता हेतु विद्युत व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

23. माननीय न्यायालयों, राज्य सरकार तथा प्रशासन द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।

24. विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि यह बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकते है। परन्तु ऐसी दशा में ठेकेदार को अवशेष अवधि की ही अनुपातिक धनराशि प्राधिकरण द्वारा वापस की जायेगी।

25. प्रवेश शुल्क की दरो के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट जिसमें एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।

26. ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट

सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

27. प्रवेश स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे–उद्घघोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख–रखाव का दायित्व ठेकेदार का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की पूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
28. ठेकेदार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके कर्मचारीगण जो प्रवेश शुल्क व्यवस्था में लगाये गये है का आचरण सही है, तथा किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त नहीं है।
29. ठेकेदार को प्रवेश शुल्क व्यवस्था पर लगे कर्मचारियों का नाम, स्थाई पता तथा फोटो प्राधिकरण में जमा करना होगा।
30. ठेकेदार द्वारा प्रवेश शुल्क व्यवस्था पर लगे कर्मचारीगणों को परिचय पत्र जारी करना होगा, तथा प्रवेश टिकट जारी करते समय कर्मचारी को परिचय पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
31. नीलामी स्वीकृति कि उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
32. नीलामी होने के उपरान्त ठेकेदार द्वारा प्रवेश शुल्क वसूलने से पूर्व टिकट का प्रारूप प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा, जिस पर आगन्तुको का नाम, मोबाईल नम्बर लिखा होना अनिवार्य है।
33. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

प्रभारी उद्यान
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मैने उपरोक्त 1 से 33 तक सभी शर्तों को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर `................................... शब्दो में ....प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूॅ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूॅ।

हस्ताक्षर बोलीदाता